भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3

सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक)

राष्ट्रीय रोजगार दर

3. **श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:**
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर अगस्त, 2025 में 5.1 से बढ़कर सितंबर, 2025 में 5.2 प्रतिशत हो गई है जिसमें ग्रामीण बेरोजगारी 4.3 प्रतिशत से बढ़कर 4.6 प्रतिशत और शहरी बेरोजगारी 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य में, विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी जिलों में इसी तरह के रुझान देखे गए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा महाराष्ट्र में विशेषकर युवाओं और महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि को दूर करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में रोजगार सृजन योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय बेरोजगारी रुझान के आलोक में महाराष्ट्र के औद्योगिक, कृषि और सेवा क्षेत्रों में रोजगार सृजन का सहयोग करने के लिए कोई विशेष पहल करने का है, जो 2017-18 में 6.0 से घटकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): रोजगार और बेरोजगारी का डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 6.0% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है।

इसके अलावा, एमओएसपीआई ने जनवरी 2025 से पीएलएफएस को नया रूप दिया है। मासिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) पर बेरोजगारी दर (यूआर) अगस्त 2025 में 5.1% और सितंबर 2025 में 5.2% थी और इसी अवधि के दौरान ग्रामीण बेरोजगारी 4.3% और 4.6% थी तथा शहरी बेरोजगारी क्रमशः 6.7% और 6.8% थी। ज्यादा आवृत्ति और मौसमी बदलावों के मद्देनजर मासिक पीएलएफएस अनुपात में परिवर्तन की उम्मीद बनी रहती है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह दीर्घकालिक प्रवृत्ति (सैकुयलर ट्रैंड) को प्रतिबिंबित करें।

हालांकि, महाराष्ट्र में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 4.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.3% हो गई है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 3.2% से घटकर वर्ष 2023-24 में 2.1% हो गई है और इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में 7.4% से घटकर 5.2% हो गई है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार सभी (ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों सहित) की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सहित पूरे देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी क्षेत्र से जुड़े कार्मिकों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए ' फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

सरकार, महिला कामगारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से भी उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भी इंजीनियरिंग की मेधावी महिला छात्राओं को 'प्रगति' और 'सरस्वती' जैसी छात्रवृत्तियां भी प्रदान करती है जिससे इन विषयों में महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दिया जाता है।

उपरोक्त के अलावा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अप्रैल 2025 में महिलाओं के लिए एआई करियर पहल भी शुरू की है, जहां दो वर्षों की अवधि में, लड़कियों के लिए प्रशिक्षण और सक्षम आर्थिक अवसर कार्यक्रम के फोकस होंगे।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत 'पालना' घटक कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत डे-केयर की सुविधाएं और बच्चों की सुरक्षा मुख्य बिंदु हैं। "पालना" के अंतर्गत, मंत्रालय ने बच्चों की देखभाल की निशुल्क सेवाओं का आंगनबाड़ी सह-शिशु गृह (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से विस्तार किया है।

सरकार ने "नव्या" (युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण) भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को मुख्य रूप से गैर-पारंपरिक और नए प्रकार की नौकरियों/जॉब रोल्स् में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

इसके अलावा, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय देश भर में 25 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्रों (एनसीएससी-एससी/एसटी) के नेटवर्क के माध्यम से "वेलफेयर ऑफ एससी/एसटी योजना" को भी कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य रोजगार के इच्छुक एससी/एसटी को श्रम बाजार की मांगों के अनुरूप तैयार करने हेतु भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, व्यावसायिक परामर्श, करियर सलाह और कम्प्यूटर ट्रेनिग इत्यादि प्रदान करके उनकी नियोजनीयता को बढ़ाना है।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (डीओएसजे&ई) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्गों, ईडब्ल्यूएस, डीएनटी, कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों को पैनल में शामिल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए और उन्हें वेतन-रोजगार और स्व-रोजगार दोनों में रोजगार योग्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री - दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना शुरू की है।

महिला कामगारों के लिए समान अवसरों और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में कई सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता**,** 2020 में 26 सप्ताह का सवैतनिक प्रसूति अवकाश, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य शिशुगृह सुविधा आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

इसके अलावा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता (ओएसएच), 2020 में प्रावधान हैं कि महिलाएं सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने की हकदार होंगी और उन्हें सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है, जो सुरक्षा, छुट्टियों और काम के घंटों या नियोक्ता द्वारा पालन की जाने वाली किसी भी अन्य शर्तों से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन है जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

केंद्रीय बजट (2024-25**)** में, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशुगृह की स्थापना की घोषणा की गई।

*****